"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जीं. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 204] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 जुलाई 2010—श्रावण 6, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई, 2010 (श्रावण 6, 1932)

क्रमांक -8228/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता(संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 17 सन् 2010), जो दिनांक 28 जुलाई, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 17 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2010

छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषा.

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

"मूल अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970).

धारा 2 का संशोधन.

3. (1) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"नि:शक्त व्यक्ति" जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी नि:शक्तता के कम से कम चालीस प्रतिशत से ग्रस्त है.

(2) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(तीन) विधवा या विच्छिन्न विवाह (तलाकशुदा) या ऐसी महिला, जिसने क्रूरता भोगी हो, जो स्थानीय क्षेत्र में निवास संबंधी ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों जैसा कि विहित किया जाये ;"

"(चार) नक्सली हिंसा से प्रभावित बच्चे."

(3) धारा 2 के उपखण्ड (क-एक) (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार के सदस्य."

(4) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क-एक) के स्पष्टीकरण में शब्द "पति पत्नी तथा उनके अवयस्क बच्चे" के स्थान पर शब्द "पति, पत्नी, उनके अवयस्क बच्चे तथा अविवाहित पुत्री" प्रतिस्थापित किया जाये.

(5) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जायें, अर्थात् :-

"ग्राम पंचायत के मामले में, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994)."

(6) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) में शब्द "अधिसूचित क्षेत्र समिति या ग्राम पंचायत या आदिवासी पंचायत " के स्थान पर, शब्द "अधिसूचित क्षेत्र समिति या ग्राम पंचायत " प्रतिस्थापित किया जाये.

(7) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित (ज) तथा (झ) खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :-

" (ज) राज्य निराश्रित निधि" से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन गठित निधि.

(झ) क्रूरता से अभिप्रेत है -

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण, जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है, या

(ख) महिलाओं का उत्पीड़न-उसको या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई विधि विरुद्ध मांग पूरी करने के लिए या इस कारण से कि वह या उनसे संबंधित कोई व्यक्ति ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है, उत्पीड़ित करना."

4. (1) मूल अधिनियम की धारा 3 में शब्द "यथा योग्य व्यवस्था करें " के स्थान पर, शब्द "योजना का क्रियान्वयन तथा समुचित सहायता उपलब्ध कराना" प्रतिस्थापित किया जाये. धारा 3 का संशोधन.

(2) मूल अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (घ) में शब्द "उधार " के स्थान पर शब्द "सहायता " प्रतिस्थापित किया जाये.

(3) धारा 3 के खण्ड (घ) के उपखण्ड (एक) एवं (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(एक) निराश्रित व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य का दाह-संस्कार ;

(दो) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा अधिसूचित गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों से संबंधित लड़कियों के लाभ के लिये विशेष योजना."

5. मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2-क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धाराएं प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :- धारा 4 का संशोधन.

"(2-क) कलेक्टर, मण्डी समिति द्वारा किये गये संग्रहण की रकम का बीस प्रतिशत राज्य निराश्रित निधि में प्रभाजन और निक्षेप करेगा तथा ऐसी निधि में संग्रहित रकम किसी जिले के लिए ऐसी रीति में उपयोजित की जायेगी, जैसी की विहित की जाए तथा आयुक्त/संचालक पंचायत एवं समाज सेवा छत्तीसगढ़ ऐसी निधि का प्रवर्तन और उचित लेखा संधारण करेगा और ऐसी निधि का लेखा संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा अंकेक्षित किया जायेगा.

(2-क क) राज्य निराश्रित निधि का समस्त धन, किसी सहकारी बैंक में या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का सं. 5) की प्रथम अनुसूची में तत्स्थानी नये बैंक के रूप में विनिर्दिष्ट किसी बैंक में या डाकघर बचत बैंक में निक्षेपित किया जायेगा.

(2-क ख) उप-धारा (2) और (2-क) के अधीन प्रभाजन के पश्चात् शेष रकम संबंधित मण्डी समिति की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र के निराश्रित और निर्धन व्यक्तियों के लिए आश्रमों की स्थापना एवं संधारण के प्रयोजन के लिये उपयोजित की जायेगी :

परन्तु राज्य सरकार, किन्हीं अन्य क्षेत्रों में ऐसे आश्रमों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, संबंधित मण्डी समिति की अधिकारिता के बाहर ऐसे अन्य क्षेत्रों में निराश्रित और निर्धन व्यक्तियों के लिए आश्रमों की स्थापना एवं संधारण हेतु शेष रकम के दस प्रतिशत से अनधिक रकम को उपयोजित करने का आदेश दे सकेगी."

धारा 7 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में, शब्द "या आदिवासी पंचायत" का लोप किया जाये.

धारा 9 का संशोधन. 7. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) में :-

(एक) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(क-1) वह रीति, जिसमें धारा 4 की उप-धारा (2-क) के अधीन किसी जिले में राज्य निराश्रित निधि उपयोजित की जायेगी ;"

(दो) मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (ग-1) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ग-1) वे शर्तें और निबन्धन जिनके अध्यधीन रहते हुए धारा 3 के अधीन सहायता उपलब्ध करायी जा सकेगी."

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 के अधीन मंडी समिति से संग्रहित निधि का लेखा संबंधित जिले का कलेक्टर संधारित करता है. राज्य में ऐसे समस्त निधि के समानुपातिक उपयोजन (वितरण एवं व्यय) सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर राज्य निराश्रितों निधि की स्थापना के लिए धारा 4 को संशोधित किया जा रहा है, धारा 2 में "निर्धन व्यक्तियों", "कुटुम्ब" एवं "निराश्रितों" की परिभाषा में परिवर्तन सुविधा हेतु संशोधित किया जा रहा है, धारा 7 को भी संशोधित किया जा रहा है क्योंकि आदिवासी पंचायत शब्द असंगत हो गया है.

2. **अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.**

रायपुर,
तारीख : 22 जुलाई, 2010

लता उसेंडी
समाज कल्याण मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) की धारा-2 (क) (दो), धारा-2 (क-एक), धारा-2 (ख) (तीन), धारा-2 (घ), धारा-2 (छ), धारा-3 (ग), धारा-3(घ), धारा-4 (2-क), धारा-7 (1), धारा-9 (2) के सुसंगत उद्धरण :-

* * * * * * * * * * * * *

1. धारा-2 (क) (दो) वे अंधे, या बहरे तथा गूंगे या अन्यथा नि:शक्त हुए (डिसेबल्ड) व्यक्ति

2. धारा-2 (क-एक) "निर्धन व्यक्ति" से अभिप्रेत है :-

(एक) ऐसे स्थानीय प्राधिकारी कि जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, सीमाओं के भीतर समाविष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र में मामूली तौर से निवास करने वाले .

(दो) प्रतिमास एक सौ रुपये या उससे कम आय वाले :
किसी कुटुम्ब का कोई सदस्य

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के प्रयोजन के लिये "कुटुम्ब" से अभिप्रेत पति, पत्नि तथा उनके दो अवयस्क बच्चें यदि कोई हों :

3. धारा- 2(ख) तीन-ग्राम पंचायत या आदिवासी पंचायत के मामले में मध्यप्रदेश पंचायत एक्ट 1962 (क्रमांक 7 सन् 1962)

4. धारा-2 (घ) स्थानीय प्राधिकारी से अभिप्रेत है, यथा स्थिति नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद् अधिसूचित क्षेत्र समिति, ग्राम पंचायत्त या आदिवासी पंचायत जो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि के अधीन गठित की गई हो या गठित की गई समझी गई हो :-

5. धारा-2 (छ) विनिर्दिष्ट दर से किसी विनिर्दिष्ट कृषि, उपज के संबंध में अभिप्रेत है, वह दर जो यथा स्थिति धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के या धारा 5 के अधीन विनिर्दिष्ट की गई हो.

* * * * * * * * * * * * *

6. धारा-3 (ग) पूर्वोक्त उद्देश्यों के लिये सेवा के अनुरक्षण तथा प्रबंध के लिये यथा योग्य व्यवस्था करें.

7. धारा 3 (घ)

(एक) गंभीर तथा आपाती मामलों में किसी निर्धन व्यक्ति के लिये चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था करने के लिये, या

(दो) किसी निर्धन व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य का दाह संस्कार करने के लिये, या

(तीन) किसी निर्धन व्यक्ति के फायदे हेतु किसी अन्य ऐसे प्रयोजन के लिये जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये,

ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाय, उधार मंजूर करना.

* * * * * * * * * * * * *

8. धारा 4 (2-क) उपधारा (2) के अधीन किये गये प्रभाजन के पश्चात् शेष रही रकम संबंधित मण्डी समिति की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र में निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों के लिये आश्रमों की स्थापना करने और उनका अनुरक्षण करने के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जायेगी, परंतु राज्य सरकार किसी अन्य क्षेत्र में ऐसे आश्रमों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शेष रकम के दस प्रतिशत से अनधिक का उपयोग संबंधित मण्डी समिति की अधिकारिता के बाहर के ऐसे अन्य क्षेत्र में निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों के लिए आश्रमों की स्थापना करने और उनका अनुरक्षण करने के लिये, किये जाने का आदेश दे सकेगी.

* * * * * * * * * * * * *

9. धारा 7 (1) का प्रथम परंतुक

परन्तु किसी भी ग्राम पंचायत या आदिवासी पंचायत, सीमाओं के भीतर स्थित भवन के संबंध में ऐसा उपकर ऐसी दर से उद्ग्रहित किया जायेगा जो भवन के इस पूंजीगत मूल्य का जो कि स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि के उपबंधों के अनुसार संधारित किया गया है प्रति सौ रुपये पर एक पैसे से अधिक न हो.

* * * * * * * * * * * * *

10. धारा 9 (2) (क) वे अपेक्षाएं जिनकी कि धारा 2 के खण्ड (क) के अधीन पूर्ति की जानी है.

11. धारा 9 (2) (ग-1) वे निबंधन तथा शर्तें जिनके कि अध्यधीन रहते हुए धारा 3 के खण्ड (घ) के अधीन उधार मंजूर किया जा सकेगा.

* * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.